



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

॥ कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण इलाकों में बसती है और आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि एवं इससे संबंधित व्यवसायों पर निर्भर है। प्रायः सीमित संसाधनों से खेती-बाड़ी करने वाले कृषकों को विभिन्न प्रकार के कारणों से फसल हानि की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इनमें मुख्य तौर पर मानसून का समय पर न आना, बाढ़, सूखा, तूफान आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि इस प्रकार फसल का चौपट होना किसानों की आर्थिक बदहाली को और बढ़ावा देता है तथा प्रायः वे कर्ज में भी इस कारणवश डूब जाते हैं। ॥

भारत सरकार द्वारा फसल नुकसान के जोखिम से किसानों को बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में लागू किया गया। फसल खराब होने की स्थिति में इस योजना के माध्यम से किसानों को एक व्यापक बीमा कवर मिलता है और इस प्रकार इससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

- फसल हानि की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- किसानों की आय को बढ़ाना
- आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना
- फसल उत्पादन जोखिम से सुरक्षा
- खाद्य सुरक्षा, फसल विविधता, तीव्र विकास को मजबूत करना।

कैसे लें योजना का फायदा

- देश के किसी भी राज्य के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं
- आवेदन के लिए एक आवेदन पत्र

बीमा दावे का आधार

- प्राकृतिक आपदाएं जैसे-तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, बवंडर, रोग, बाढ़, सूखा, रोग, जलभराव, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाएं तथा आकाशीय बिजली से हानि
- फसल के काटे जाने के बाद अधिकतम दो सप्ताह के अंदर चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में संबंधित क्षेत्रों के उच्च, मध्यम और जोखिम स्तर पर 70, 80 और 90 प्रतिशत हानि के तीन स्तरों पर सभी फसलों के लिए बीमा भुगतान हेतु प्रावधान। सभी जरूरी सूचना, उसके प्रसार तथा पारदर्शिता के लिए सरकार ने बीमा पोर्टल (www.agri-insurance.gov.in) भी बनाया है। इसका मुआवजा सिर्फ वे ही किसान ले सकते हैं, जो प्रीमियम तथा उसकी सारी किश्त समय से भरेंगे।

किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भरना होगा।

- ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने घर के पास के नजदीकी बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए <https://pmfby.gov.in> पर जा सकते हैं।
- आवेदन बुआई के 10 दिनों के अंदर करना होगा।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

- बैंक अकाउंट नंबर
- आधार नंबर
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान का निवास प्रमाणपत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि
- खेत की जमीन या मालिक के कागज की फोटो कॉपी

इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित प्रीमियम देना होगा। यह प्रीमियम काफी कम होता है। खरीफ की फसल के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम तथा बागवानी फसलों में अधिकतम 5 प्रतिशत तक प्रीमियम के रूप में देना होगा।

बीमा के दायरे में आने वाली फसलें

- खाद्यान्न फसलें (मोटे अनाज और दलहन)
 - तिलहन
 - वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें
- इस योजना का फायदा फसल उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार सहित सभी किसान ले सकते हैं। इसके लिए किसानों के पास फसल का बीमा समय पर लेने के साथ प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों को भूमि के जरूरी दस्तावेज, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (एलपीसी), अधिकार अभिलेख (आरओआर) विवरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी जरूरी कागजात दिखाने होंगे।

यदि फसल सूखा, आंधी, तूफान, बारिश, ओले आदि या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से खराब हो गई है, तो इसकी जानकारी 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देनी होगी। उसके बाद कंपनी नुकसान के दावे का आकलन करेगी और फिर बीमा का पैसा खाते में आ जाएगा। ■